1

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक–एफ. 1 (18)परि./स्था./2019/ 11940   जयपुर, दिनांक 2/7/019

आदेश

राजस्थान परिवहन अधीनस्थ सेवा नियम, 1963 के अन्तर्गत मोटर वाहन उप निरीक्षक से मोटर वाहन निरीक्षक के पद पर वर्ष 2012–2013 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति हेतु दिनांक 20.06.2019 को विभागीय पदोन्नति समिति की पुनरीक्षण बैठक सम्पन्न हुई।

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार श्री अभिजीत सिंह यादव, मोटर वाहन उप निरीक्षक को मोटर वाहन निरीक्षक (पे मेट्रिक लेवल–11) के पद पर वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:–

श्री यादव का नाम वर्ष 2012–13 की चयन सूची में क्र.सं. 11 श्री टीकम चन्द मदान के नीचे व क्र.सं. 12 श्री पुष्पेन्द्र सिंह के ऊपर स्थापित किया जाता है। इनको पदोन्नति पर काल्पनिक लाभ उनसे कनिष्ठ श्री पुष्पेन्द्र सिंह को दिये गये लाभ की तिथि से तथा नकद लाभ वास्तविक रूप से कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

श्री यादव अग्रिम आदेश तक अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यरत रहेगें।

(महेन्द्र कुमार खींची)
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा)
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक–एफ.1(18)परि./स्था./2019/11941 to 51   जयपुर, दिनांक 2/7/019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, परिवहन राज्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, परिहवन, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
5. अति. निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राजस्थान, जयपुर ।
6. उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.)
7. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी–––––––––––––––––––
8. सिस्टम एनालिस्ट, परिवहन मुख्यालय को विभागीय वैबसाइट पर ऑपलोड करने हेतु
9. सम्बन्धित कार्मिक ––––––––––––
10. निजी पत्रावली
11. रक्षित पत्रावली

(अमृता चौधरी)
उप परिवहन आयुक्त (प्रशा)

Scanned by CamScanner